



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]
No. 52]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2000/माघ 5, 1921
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2000/MAGHA 5, 1921

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2000

का.आ. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 93(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 में “दो वर्षों की अवधि के लिए” शब्दों के स्थान पर “चार वर्षों की अवधि के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. क्यू-18011/14/90/-सी पी ए (खंड 11)]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का. आ. 93(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 25th January, 2000

S.O. 68(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 93(E) dated the 29th January, 1998, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, for the words “for a period of two years”, the words “for a period of four years” shall be substituted.

[F. No. Q-18011/14/90-CPA (Vol. XI)]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 93(E) dated 29th January, 1998

